न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2024/12

अपील संख्या - 7/24

1. राधेश्याम पुत्र रामसिह
2. जमनालाल पुत्र रामसिह
3. मनहारी पुत्र रामसिह
4. कौशल्या पुत्री रामसिह
5. कंपूरी पत्नि रामसिह सभी जातियान गुर्जर निवासीयान खेडली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रमेश पुत्र फेली
2. रामकेश पुत्र फेली
3. बहादुर पुत्र फेली
4. अखराम पुत्र फेली
5. भूर सिह पुत्र फेली
6. केशन्ता पुत्री फेली पत्नि प्रभू जाति गुर्जर निवासी खेडली हालवासी लोख, रिवाली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
7. उप पंजीयक तहसीलदार बामनवास
8. लैण्ड होल्डर जरियेय तहसीलदार बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 19/23 निर्णय दिनांक 25.1.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री रिषाराम मीना

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मो0इस्लाम,श्री हरिशंकर शर्मा

दिनांक 06.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.1.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा न0 514 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम खेडली तहसील बामनवास कल्याण व मोलक्या पुत्रगण नोका जाति गुर्जर निवासी खेडली की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रही है। उक्त भूमि पर लम्बे समय से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग फेली व रामसिह का कब्जा काश्त चला आ रहा था। मोलक्या व कल्याण के बयान तथा लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर फेली व रामसिह को उनके सिकमी काश्तकार होने के कारण कब्जे के आधार पर तत्समय राजस्व कर्मियो द्वारा मौके पर फेली व रामसिह को दिनांक 12.4.77 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये। सिकमी खातेदार होने बाबत अंकन भी तत्समय ही राजस्व रिकार्ड मे कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग फेली व रामसिह उक्त आराजी के बराबर बराबर हिस्सो के खातेदार टीनेन्ट हो गये और

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उक्त आराजी को समान रूप से काश्त कर उनके जीवनकाल मे वे तथा उनके मरने के बाद उनके वारिसान काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त साबिक खसरा न0 514 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा का हाल सम्पन्न के दौरान नवीन खसरा न0 1513 रकबा 0.34 है0, 1514 रकबा 0.40 है0, 1515 रकबा 0.34 है0, 1518 रकबा 0.22 है0, 1519 रकबा 0.15 है0, 1520 रकबा 0.19 है0, 1521 रकबा 0.25 है0, 1531 रकबा 0.49 है0 कायम हुए। दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियो को उक्त आराजीयात की खातेदारी फेली व रामसिह के नाम दर्ज करनी चाहिए थी। किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर खातेदारी अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। जबकि उक्त आराजी की खातेदारी सेटलमेंट विभाग को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग फेली व रामसिह के नाम बराबर हिस्से मे दर्ज करनी चाहिए थी। सेटलमेंट अधिकारियो ने अकेले रमेश के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्डस आफ राईटस की पवित्रता को भंग किया है तथा उन्होने उक्त कार्य अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर किया है जो प्रारंभ से ही शून्य है तथा बहक प्रार्थीगण बेअसर है। जो काबिले दुरूस्ती है। आराजीयात उक्त को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग के समय से ही मौके पर आधी आधी विभाजित कर रखी है तथा उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के हिस्से मे आई भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा रिहायशी आवास बना रखा है। उक्त आराजीयात को बिना किसी आधार के सेटलमेंट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ गई इस कारण वह प्रार्थीगण के हिस्से 1/2 भाग मे प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न पैदा करने लग गये है तथा गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि को बेचान करने कर आमादा है तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण को उनके हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नही करे एवं उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.23 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की हद तक निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का अपने निर्णय मे कोई विववेना नही की गई और सरसरी तौर पर अपीलांट के पक्ष मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। साबिक खसरा न0 514 की भूमि कल्याण व मोलक्या पुत्रान नोका गुर्जर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही है तथा उक्त साबिक खसरा न0 514 के भू प्रबंध विभाग ने नवीन खसरा न0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कायम किये है। इस भूमि पर लम्बे समय से अपीलांट काबिज रहकर अपने पूर्वज फेली व रामसिह के समय से काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। मोलक्या व कल्याण के बयान तथा लम्बे कब्जे के आधार पर फेली व रामसिह को सिकमी काश्तकार होने के कारण दिनांक 12.4.77 को खातेदारी अधिकार दे दिये सिकमी खातेदार होने बाबत राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर दिया गया इस प्रकार प्रार्थीगण व फेली व रामसिह उक्त आराजीयात के बराबर बराबर हिस्से मे खातेदार हो गये। इन सम्पूर्ण बातो पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर विधि विरूद्व तरीके से निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आराजी को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने बुजुर्गो के समय से ही मौके पर आधी आधी विभाजित कर रखी थी तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा अपीलांट के हिस्से मे आई भूमि पर रहने हेतु मकान बना रखाा है। विधुत कनेक्शन लेकर बोर लगा रखा है। इस तथ्य को अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। भू प्रबंध कर्मचारियो ने रेस्पो0 से साज करके उक्त आराजीयात को रेस्पो0 के नाम अपने अधिकार क्षैत्र के बाहर जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दी उक्त राजस्व रिकार्ड के परिवर्तन की सूचना होने पर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानो के तहत स्थगन जारी किया गया था। पत्रावली तलबी मे नियत थी। रेस्पो0 ने अपने राजनैतिक प्रभाव से उक्त आदेश पारित करवा लिया गया। जिसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि पत्रावली मे उपस्थित राजस्व रिकार्ड के बाबत कुछ भी अंकन अपने निर्णय मे नही दिया है। रेस्पो0 चालवाज किस्म का व्यक्ति है उसके द्वारा दौराने वाद आराजीयात को जयसिह गुर्जर वगै0 को बेचान कर दिया है । उक्त अपीलाधीन निर्णय मे मुकदमो मे जटीलता व विधिधता बढ गई है। बैसे भी बेचान डॉक्टरीन आफ लिसपेन्डीस के सिद्वान्त के अनुसार धारा 52 के तहत प्रभावहीन है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून व धारा 212 आर टी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि पक्षकारो के हितो अधिकारो को संरक्षित जरिये टी आई किया जाना था जो उन्होने नही किया इस कारण अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर कानूनी प्रावधानो के तहत विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। भूमि साबिक खसरा न0 514 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा से अपीलांट का कोई संबंध वास्ता नही है ना ही कभी रहा है। अपीलांट के बुजुर्ग फेलीराम व रामसिह नही है। उक्त भूमि के अपीलांट कभी खातेदार नही रहे है। दिनांक 12.4.77 को फेलीराम को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। लेकिन रामसिह का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही रहा तथा उक्त भूमि पर रामसिह व उसके वारिसान का कोई कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि पर अपीलांटगण का कोई मकान नही बना है ना ही किसी प्रकार की कोई बोर लगी हुई है। जबकि सत्यता यह है कि रेस्पो0 का उक्त भूमि पर काफी समय से मकान बना रखा है तथा उसी मे निवास कर रहे है तथा विधुत कनेक्शन भी ले रखा है तथा भूमि के कोई दो हिस्से नही है बल्कि एक ही हिस्सा है। रेस्पो0 उक्त आराजीयात पर तन्हा रूप से काश्त करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चले आ रहे है। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मनगढन्त आधारो पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नही है बिना कब्जे के आधार पर अपीलांट को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही था। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि फेली व रामसिह को शिकमी खातेदार होने का अंकन राजस्व रिकार्ड मे मौजूद है। परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे अपीलांट का यह कथन साबित हो सके। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 सेटलमेंट से पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है जिसका जमाबंदी मे स्पष्ट अंकन है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भी अपीलांटगण खातेदार कास्तकार दर्ज नही है। अपीलांट का कथन रहा कि पत्रावली अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की तलबी मे नियत थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर साजिशी रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का साजिशो के संबंध मे कथन झूठा है क्योकि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की साजिशी नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को आदेशिका दिनांक 31.3.23 की पालना करने हेतु निर्देशित किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की हद तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय मे चलने योग्य नही नही है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एडमिशन स्तर पर प्रार्थीगण के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.3.23 को जारी की गई थी तत्पश्चात रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत करने एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 31.3.23 को अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की हद तक लागू नही होना मानने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 हेतु नियत की गई थी। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील किसी अंतिम आदेश के विरूद्व पेश नही की जाकर केवल मात्र अंतरिम आदेश को रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 की हद तक लागू नही होने के बाबत पारित किये गये आदेश के विरूद्व पेश की गई है जो कानूनन चलने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पर लम्बे समय से अपीलांट व रेस्पो0 के बुजुर्गान का कब्जा होने से मोलक्या व कल्याण के बयान के आधार पर उनके बुजुर्ग फेली व रामसिह को सिकमी काश्तकार होने के आधार पर तत्समय दिनांक 12.4.77 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। पत्रावली मे इस प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। जिससे अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि हो सके। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत छाया प्रति दस्तावेजात से भी वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा सिद्व नही होता है। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना होता है। वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं ओधंकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे साक्ष्य सबूत के उपरान्त तय हो सकेगे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2079 वाके ग्राम खेडली तहसील बामनवास मे वादग्रस्त आराजीयात रमेश पुत्र फैली हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होकर रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होता है। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा अपीलांटगण हो इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उनका कब्जा साबित हो सके। इस प्रकार अपीलांट को किसी प्रकार की असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होती है। प्रस्तुत अपील अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.3.23 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की हद तक बेकेट किये जाने के आदेश दिनांक 25.1.24 को दिये जाने के विरूद्व पेश की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने द्वारा पारित अंतरिम आदेश को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 पर लागू नही होना मानकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 हेतु नियत की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम निर्णय के विरूद्व पेश की गई है। अपीलाधीन निर्णय अंतिम निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार के तहत ही अंतरिम आदेश दिनांक 31.3.23 को वकेट किया गया है। जिसका अधिनस्थ न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। उक्त विवेचन से अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बामनवास के प्रकरण संख्या 19/23 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर